न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:–07/2020

मनदीप कौर उम्र 43 वर्ष पत्नी भोलासिंह जाति मजबी निवासी 1 एनजैडपी–ए बाजुवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

–––वादीया

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–––––प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज. काश्त. अधिनियम

एवं धारा–136 भू.राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–22.03.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया के नाम से चक 6 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं.–269/461 मुरब्बा नं.–13 का किला नं.–13/2ता21/3 में कुल 1.848 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में अपनी माता व भाईयों के साथ बहिस्सा बराबर की खातेदार कृषक है। वादीया की माता बलवीरकौर बेवा बाघसिंह का दिनांक 26.07.07 को देहांत हो चुका है तथा उसके जायज वारिसान व विधिक प्रतिनिधी वादीया व उसकी बड़ी बहन मनजीत कौर तथा भाई गुरमेलसिंह, जगतारसिंह व जसमेलसिंह है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीया की माता बलवीर कौर के निर्वसीयती देहांत के बाद उनका हिस्सा उक्त पांचों वारिसान को बहिस्सा बराबर विरासतन प्राप्त हुआ तथा वादीया का वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने बहन भाइयों के साथ बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा की खातेदार कृषक हुई। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीया का नाम छोटीकौर अंकित है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीया को अपने पिता बाघसिंह से विरासतन पीहर पक्ष से प्राप्त होने से छोटीकौर पीहर पक्ष का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि में अंकित हो गया है जबकि शादी के बाद में वादीया का नाम समाज की प्रथा के अनुसार ससुराल में मनदीपकौर रखा गया तथा वर्तमान में वादीया मनदीपकौर पत्नी भोलासिंह के नाम से जानी व पहचानी जाती है तथा वादीया का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड , पैनकार्ड, श्रमिक कार्ड वोटर पहचान कार्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक पासबुक में वादीया का नाम मनदीप कौर पत्नी भोलासिंह अंकित है तथा पीहर पक्ष में वादीया का नाम छोटीकौर होने के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत बाजुवाला की तस्दीक संलग्न है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीया का नाम छोटीकौर अंकित होने से वादीया के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है तथा वादीया अपनी विरासतन प्राप्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा वादीया के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वादीया वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना नाम छोटीकौर पुत्री बाघसिंह के स्थान पर मनदीप कौर पत्नी भोलासिंह दुरूस्त करवाना चाहती है तथा इस आशय की घोषणा [illegible] चाहती है वादीया ने प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर [illegible] करने का कहते हुए प्रतिवादी ने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। बस यही वाद कारण है जो वादीया को प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:15 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये राज पैरोकार राज. जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 चक 6 ए (बी) का पत्थर नं.–269/461 का 1.848 हैक्टर कमाण्ड रकबा में गुरमेलसिंह, छोटीकौर, जगतारसिंह, मंजीत कौर, जसमेलसिंह पुत्र पुत्रियॉं बाघसिंह हर पांच हि.ब.हि.ब. जाति मजबी साकिन देह खातेदार रहन–पंजाब नैशनल बैंक शाखा गंगूवाला जाटान दर्ज रिकॉर्ड है। हल्का पटवारी 9 ए से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया चक 6 ए(बी) मे वर्तमान में निवास नही कर रही है। वादी अन्यत्र निवास करने के कारण उसका सही नाम का पता नही चल पा रहा है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादीया का पिता बाघसिंह की भूमि चक 6 ए बी मे स्थित है। जहां वादीया का पीहर पक्ष निवास करता है। वादीया की शादी चक 1एनजैडसी ए बाजूवाला तहसील जिला श्री गंगानगर राज. में होने के कारण अपने ससुराल पक्ष में निवास कर रही है। वादीया के पिता की मृत्यु के बाद चक 6 ए(बी) की भूमि का नामान्तरण होने के कारण वादीया का नाम पीहर पक्ष में छोटीकौर होने से राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान की हैसियत से दर्ज हुआ पाया जाता है। वादीया की शादी होने के बाद सामाजिक परम्परानुसार ससुराल पक्ष में नाम बदलने के कारण छोटीकौर के स्थान पर मनदीपकौर रख लिया एवं उसी अनुरूप उसके दस्तावेजों मे आधार कार्ड नं.–802848307636, भामाशाह कार्ड सं.–WWZPHSR आयकर विभाग का जारी कार्ड सं.–WHSIPK8994J मतदाता पहचान पत्र क्रमांक–HZC1787399 व अन्य दस्तावेजों में वादीया का नाम मनदीप कौर पत्नी भोलासिंह दर्ज किया गया है। दस्तावेजों के आधार पर वादीया का नाम छोटीकौर पुत्री बाघसिंह के स्थान पर छोटीकौर उर्फ मनदीपकौर पत्नी भोलासिंह की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीया द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादीया अपने साक्ष्यों से यह साबित करने में सफल रही है कि वादीया का नाम छोटी कौर पुत्री बाघसिंह न होकर मनदीपकौर पत्नी भोलासिंह है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादीया का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 6 ए(बी) तहसील अनूपगढ़ के पत्थर सं.–269/461 मुरब्बा नं.–13 का किला नं. –13/2ता21/3 में कुल 1.848 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में छो[illegible]ी बाघसिंह के स्थान पर छोटीकौर उर्फ मनदीपकौर पत्नी भोलासिंह का अंकन [illegible] जाती है। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible] करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़